बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 100/11–12

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – भट्टा मध्य विद्यालय (बंगला) पूर्णिया को वर्ष 2006–07 से 10–11 में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि भुगतान हेतु अनुदान राशि का अंकेक्षण।

(ख) अंकेक्षणाधीन लेखा वर्ष – 2006–07 से 2010–11 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षणाधीन अवधि के नियंत्री पदा0 –

जिला शिक्षा अधिक्षक पूर्णिया :–

1. श्री अमेरिका प्रसाद – 11.7.2005 से 7.7.08 तक
2. श्री हरिहरनाथ झा 7.7.08 से 29.6.11 तक

(ङ) अंकेक्षणाधीन अवधि में लेखा प्रभारी पदाधिकारियों एंव कर्मचारियों का

नाम ,पदनाम –

1. श्री अमेरिका प्रसाद 11.7.2005 से 7.7.08
2. श्री हरिहर नाथ झा 7.7.08 से 29.6.11

प्रधान लिपिक

1. श्री सत्येन्द्र प्र0 गुप्ता फरवरी 06 से जून 08 तक
2. श्री मुकुन्द प्र0 सिंह जून 08 से मार्च 09 तक
3. श्री मदन मोहन चौधरी मार्च 09 से जून 09 तक
4. श्री रामाकान्त यादव जून 09 से जनवरी 09 तक
5. श्री युगेश्वर प्रसाद जनवरी 09 से जूलाई 09 तक

लिपिक

1. श्री महेश चन्द्र घोषाल फरवरी 06 से जून 09 तक
2. श्री उद्धेश्वर प्र0 यादव जुलाई 09 से जुलाई 09 तक

अंकेक्षण अवधि के विद्यालय के प्रबंधन कारिणी समिति के अध्यक्ष –

अध्यक्ष – 1. श्री अरूणाशीष बनर्जी वर्ष 2006 से अद्यतन
सचिव – 1. श्री अमित कुमार घोष वर्ष 2006 से अद्यतन
प्रधानाध्यापक– 1. श्री महादेव लाल कर्मकार – 1122004 से अद्यतन।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले

पदा0/कर्म0 के नाम एंव पदनाम – 1. श्री महेश चन्द्र पटेल, जिला कार्यक्रम पदा0 पूर्णिया।
2. श्री मदन मोहन चौधरी, प्रधान सहायक
3. श्री महादेव लाल कर्मकार, प्रधानाध्यापक

(छ) वरीय अंकेक्षको के नाम – 1. श्री भूपेन्द्र कुमार ,व0 अं0– 1
2. श्री संजय कुमार , व0 अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 13.09.2011

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – दि0 20.12.11

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 9 कार्य दिवस ।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र –

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय कार्यालय आदेश 135 दि0 19.8.2011 एवं ज्ञापांक 3286 दिनांक 15.9.60 में निहित अनुदेशों के परिपेक्ष में विद्यालयों को वर्ष 2006–07 से 10–11 तक शिक्षकेत्तर कर्मचारियों/शिक्षकों को वेतन एवं अन्य भत्ते मद में दी गई अनुदान राशि का सामान्य अंकेक्षण प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया। गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं शिक्षकों को वेतन आदि मद की अनुदान की राशि उप निदेशक (प्रा0 शि0) बिहार सरकार द्वारा जिला अधीक्षक को आवंटित किया गया था। दिनांक 31.3.11 तक संधारित रोकड़ पुस्त के आधार पर आय–व्यय की जाँच की गई।

अंकेक्षण अवधि में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा संबंधित विद्यालय के वेतन मद में अनुदान की राशि कोषागार से निकासी एवं जमा राशि का सत्यापन कोषागार कार्यालय पूर्णिया के अभिलेखों से शत् प्रतिशत् किया गया एवं सही पाया गया।

(ड) वित्तीय समीक्षा :–

उप निदेशक (प्रा0 शि0) बिहार, पटना के द्वारा गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्प संख्यक सहित) प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि भुगतान हेतु आवंटन जिला शिक्षा अधीक्षक पूर्णिया को दिया गया था।

जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय द्वारा सभी विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों/शिक्षकों का वेतन विपत्र अंकेक्षण पंजी पर तैयार कर चेकों के माध्यम से विद्यालय को दिया गया पाया गया। मार्च 06 से नवम्बर 07 तक के वेतन आदि भुगतान हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चेक दिया गया था।

प्रधानाध्यापक द्वारा सभी शिक्षकों को वेतन आदि का भुगतान किया पाया गया। जबकि मार्च 08 से फरवरी 11 तक का वेतन आदि का भुगतान व्यक्तिगत चेक के माध्यम से जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय से सभी शिक्षकों को किया पाया गया।

पूर्णिया जिला के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं शिक्षकों के वेतन आदि मद में सरकार की ओर से वर्ष 06–07 से 10–11 तक में कुल आवंटन 10107548 जिला शिक्षा अधिक्षक पूर्णिया को दिया गया था।

जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पूर्णिया द्वारा संधारित गैर सरकारी विद्यालयों के अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ पुस्त में वर्ष 06–07 से पूर्व की राशि 1688649.00 पाई गई। इस तरह पूर्व की राशि 1688649.00+ आवंटन की राशि 10107548.00 = कुल 11796197.00 में से वर्ष 06–07 से 10–11 तक वेतन आदि मद में कुल 11792770.00 व्यय किया गया पाया गया। शेष राशि 11796197.00–11792770.00 = 3427.00 कोषागार में जमा किया पाया गया। 31.3.11 को सम्बन्धित रोकड़ पुस्त में रोकड़ का अन्त शेष शून्य पाया गया। आवंटन एवं व्यय का वर्षवार विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' पर द्रष्टव्य है।

(ढ़) भट्टा मध्य विद्यालय (बंगला) पूर्णिया के शिक्षकों के वेतन आदि के रूप में वर्ष 06–07 से 10–11 तक के लिये कुल 4096158.00 का अनुदान जिला शिक्षा अधिक्षक कार्यालय से दिया गया था। आवंटित राशि का लेखा विद्यालय के वेतन भुगतान पंजी सह रोकड़ पंजी में किया गया था। आवंटन एवं व्यय का विवरण वर्ष वार प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ग'' पर द्रष्टव्य है जिसे दिखने से स्पष्ट होगा कि आवंटित राशि का वितरण किया गया था। शेष के रूप में शून्य पाया गया।

(ण) विद्यालय का स्थापना एवं स्वीकृति :—

प्रधानाध्यापक द्वारा लिखित रूप में बताया गया कि भट्टा मध्य विद्यालय (बंगला) पूर्णिया का स्थापना वर्ष 1890 में किया गया था एवं विद्यालय को 02.05.1987 को स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

(त) शिक्षकोत्तर कर्मचारियों एवं शिक्षकों की नियुक्ति :—

विद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं शिक्षिकों की नियुक्ति विद्यालय के प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया जाता है एवं नियुक्ति कर अनुसंशा के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजा जाता है। जिला अधीक्षक द्वारा अनुशंसा किये जाने पर उप निदेशक(प्रा0 शि0) द्वारा इसे स्वीकृति दिया जाता है।

भाग —1

(2) भविष्य निधि अंशदान की कुल राशि रूपयें 43418.00 की कटौती नही किया जाना आपत्ति अन्तर्गत :—

जिला शिक्षा अधीक्षक के अंकेक्षण पंजी में सभी शिक्षिकों का वेतन तैयार कर कुल राशि एवं भ0 नि0 में कटौती की राशि तथा शुद्ध भुगतीत राशि अंकित पाया गया।

जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित विद्यालय को मार्च 06 से नवम्बर 07 तक संयुक्त रूप से चेक एवं मार्च 08 से फरवरी 11 तक व्यक्तिगत चेक की कुल राशि का चेक दिया गया था जबकि भ0 नि0 में दर्शायी गयी राशि की कटौती कर चेक विद्यालय के शिक्षिकों को दिया जाना चाहिये था। शिक्षिकों द्वारा चेक की कुल राशि बैंक से प्राप्त किया गया था जबकि भ0 नि0 में दर्शायी गई राशि भ0 नि0 में जमा करना चाहिये था। पर ऐसा नही किया गया था।

निर्गत आपत्ति द्वारा प्रधानाध्यपक से भ0 नि0 में कटौती नही किये जाने के सम्बन्ध में बताया गया कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक पूर्णिया के पत्रांक 1911 दिनांक 05.9.2005 के द्वारा भविष्य निधि का खाता प्रधान डाकघर पूर्णिया में खोलने का निदेश प्राप्त हुआ था। इसी पत्र के ज्ञापांक 1911 दि0 05.09.2005 के प्रतिलिपि के द्वारा प्रधान डाकघर पूणिया को आवश्यक कार्याथ प्रेषित किया गया था इसी पत्र में प्रधान डाकपाल में द्वारा लिखित रूप से इस तरह के खाता खोलने से इंकार कर दिया गया।

निर्गत आपत्ति द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक , पूर्णिया से भविष्य निधि कटौती नही किये जाने के सम्बध में बताया गया कि गैर सरकारी विद्यालयों का पूर्व में डाकघर में भविष्य निधि खाता संधारित होता था। कतिपय कारणों से संबंधित शिक्षकों का डाकघर के संधारित भविष्य निधि खाता बन्द है इन शिक्षकों के भुगतान की प्रक्रिया अन्य सरकारी कर्मचारियों से भिन्न रहने तथा भविष्य निधि खाता

नही खुलने के कारण भविष्य निधि मद में अंशदान नही किया जा रहा है। जहाँ तक विपत्र के भविष्य निधि कटौती दर्शाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में कहना है कि वेतन विपत्र में भविष्य निधि कटौती कॉलम में मात्र कटौती की राशि अवश्य दर्शाई गई है परन्तु सम्बन्धि शिक्षकों का भ0 नि0 खाता नही खुलने के कारण पूर्ण राशि का भुगतान शिक्षकों को किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विभाग से मार्गदर्शन की याचना की गई है। तत्काल सम्पूर्ण राशि का भुगतान शिक्षकों को किया जा रहा है। भ0 नि0 में दर्शाई गई कटौती राशि की विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''घ'' पर द्रष्ट्य हो इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने के लिए विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

भाग– 3

(3) उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया जाना।

विद्यालय के शिक्षकों को मार्च 06 से फरवरी 2011 तक में वेतन आदि मद में भुगतान की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र न ही जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा और न ही विद्यालय के प्राधानाध्यापक द्वारा ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। इस ओर उचित कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(4) विद्यालय के प्रबन्धन कार्यकारिणी समिति की बैठक पंजी के सम्बन्ध में :–

विद्यालय के प्रबन्धन कार्यकारिणी समिति की बैठक पंजी की माँग विद्यालय के प्रधानाध्यापक से की गई। परन्तु बैठक पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे बैठक की कार्यवाही की जानकारी नही हो सकी।

(5) विद्यालय के रोकड़ पुस्त का संधारण करने के संबंध में –

विद्यालय के रोकड़ पुस्त का संधारण अलग से नही किया गया था। वेतन भुगतान पंजी के माध्यम से ही रोकड़ का शेष दर्शाया गया था। रोकड़ पुस्त का संधारण अलग से किया जाना चाहिये था। सुझाव दिया जाता है कि रोकड़ पुस्त का संधारण अलग से किया जाय।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम</u>

(1) आलोक कुमार गुप्ता व0 अं0 –2

(2)

" NISHU"

परिशिष्ट 'क' कंडिका –1(ट) से संबंधित
म0 वि0 भट्ठा (बंगला)

प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. बिल बुक
2. रोकड़ पंजी
3. अंकेक्षण पंजी
4. चेक बुक एवं चेक पंजी
5. रेमीटेन्स रजिस्टर
6. सेवापुस्त–3

विद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख :–

1. वेतन भुगतान पंजी सह रोकड़ पंजी

अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. उपयोगिता प्रमाण–पत्र
2. सेवा पुस्त
3. विद्यालय के प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की बैठक पंजी

परिशिष्ट 'ख' कंडिका –1(ड) से सम्बन्धित

कार्यालय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पूर्णियाँ

गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों का आय– व्यय विवरणी :–

वित्तीय वर्ष	आय	कुल आय	विद्यालय का नाम	व्यय	कुल व्यय	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
2006–07	प्रा0 शेष 1688649 आय 1710000	3398649	भट्ठा भ0 वि0 (बंगला) पूर्णियाँ उर्स लाईन कान्वेंट म0 वि0 प्रा0 वि0 महिला समिति पूर्णियाँ	805152 1510987 332965	2649104	749545	
2007–08	प्रा0 शेष 749545 आ0– 1237000	1986545	भट्ठा म0 वि0 (बंगला) पूर्णियाँ उर्स लाईन कान्वेंट म0 वि0 प्रा0 वि0 महिला समिति पूर्णिया	370732 729164 133341	1233237	753308	
2008–09	प्रा0 शेष 753308 आ0– 1174000	1927308	भट्ठा म0 वि0 (बंगला) पूर्णियाँ उर्स लाईन कान्वेंट म0 वि0 प्रा0 वि0 महिला समिति पूर्णिया	510693 1200198 139572	1850463	76845	
2009–10	प्रा0 शेष 76845 आ0– 1946079	2022924	भट्ठा म0 वि0 (बंगला) पूर्णियाँ उर्स लाईन कान्वेंट म0 वि0 प्रा0 वि0 महिला समिति पूर्णिया	625244 1208110 112725	1946079	76845	
2010–11	प्रा0 शेष 76845 आ0– 750000 आ0– 818095 आ0– 2201721 आ0– 207292 आ0– 63361	4117314	भट्ठा म0 वि0 (बंगला) पूर्णियाँ उर्स लाईन कान्वेंट म0 वि0 प्रा0 वि0 महिला समिति पूर्णिया	1784337 1474751 854799	4119887	3427	

कुल आवंटन 10107548.00
+
पूर्व के वर्ष का शेष– 1688649.00
कुल – 11796197.00

कुल व्यय– 11792770 =3427
रू0 3427= कोषागार में जमा
31.3.11 का रोकड़ शेष शून्य

परिशिष्ट –'ग' कंडिका –1(ढ़) से सम्बन्धित

भट्टा मध्य विद्यालय (बंगला) ,पूर्णियाँ आय–व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष	विद्यालयों के विभिन्न शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी को वेतनादि मद में मिले कुल राशि
2006–07	805152.00
2007–08	370732.00
2008–09	510693.00
2009–10	625244.00
2010–11	1784337.00
कुल	4096158.00

परिशिष्ट –'घ' कंडिका – 2 से सम्बन्धित

क्र0	शिक्षकों का नाम	अवधि	वेतन	कुल राशि	भ0 नि0 में दर्शायी गई कटौती की राशि	दर्शायी गई शुद्ध भुगतान की राशि
1	श्रीमती मिरा राय	मार्च 06 से	1210.00	5692.00	151.00	5541.00
2	सुश्री जोनाकी सरकार	मार्च 06 से दिसम्बर 06 तक	1230.00	57929.00	1529.00	56400.00
3	रामदेव दास	मार्च 06 से दिसम्बर 06 तक	1200.00	57113.00	1504.00	55609.00
4	संजय कुमार राय	मार्च 06 से दिसम्बर 06 तक	1200.00	57113.00	1504.00	55609.00
5	देवचन्द्र झा	मार्च 06 से दिसम्बर 06 तक	1210.00	56420.00	1510.00	54910.00
6	जोनाकी सरकार	मार्च 07 से नवम्बर 07	63751.00	91764.00	4400.00	87364.00
7	रामदेव दास	मार्च 07 से नवम्बर 07	62442.00	89877.00	4050.00	85827.00
8	संजय कुमार राय	मार्च 07 से नवम्बर 07	62442.00	89877.00	4050.00	85827.00
9	देवचन्द झा	मार्च 07 से नवम्बर 07	46413.00	66810.00	2880.00	63930.00
10	जोनाकी सरकार	मार्च 08 से फरवरी 09	87380.00	138756.00	6000.00	132756.00
11	रामदेव दास	मार्च 08 से फरवरी 09	86064.00	136700.00	6000.00	130700.00
12	संजय कुमार राय	मार्च 08 से फरवरी 09	86064.00	136700.00	6000.00	130700.00
13	देवचन्द्र झा	मार्च 08 से फरवरी 09	61884.00	98532.00	3840.00	94692.00
					43418.00	1039865.00